रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234781
CG-DL-E-01042022-234781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] **नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944**
No. 174] **NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/ CHAITRA 11, 1944**

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2022

फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2022.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये विनियम 1 मई, 2022 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 की अनुसूची 2 में-

(1) प्ररूप 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररुप 2

[विनियम 5(3) देखें]

रजिस्ट्रीकरण सं. : (भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दिया जाना है)

सूचना देने वाले पक्षकार (पक्षकारों) द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित जानकारी

भाग 1 : आधारिक जानकारी

1. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के संबंध में जानकारी :

1.1. संयोजन के पक्षकारों के विधिक नाम और उनकी भूमिका :

1.2. संयोजन के पक्षकारों की विधिक प्रास्थिति (कंपनी/फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी/न्यास आदि) :

1.3. निगमन/सृजन की अधिकारिता :

1.4. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि लागू हो) :

1.5. रजिस्ट्रीकृत पूरा पता/प्रधान कारबार का पूरा पता :

1.6. संयोजन के पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और उसके संपर्क के ब्यौरे (ई-मेल पता, टेलीफोन नं., मोबाइल नं., देश/नगर/एरिया कोड सहित) :

1.7. भारत में पूरा पता और संपर्क के ब्यौरे :

1.8. वेबसाइट पता :

1.9. संयोजन में पक्षकारों के क्रियाकलापों का सुसंगत 4 अंकों वाला राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण :

1.10. फाइल करने से पूर्व परामर्श की तारीख, यदि कोई हो :

भाग 2 : फीस का संदाय

[विनियम 11 का खंड (ख) देखें]

2. जमा की गई फीस की विशिष्टियां ।

भाग 3 : संसूचना संबंधी प्राधिकार

3. भारत में ऐसे व्यष्टि (व्यष्टियों) का नाम, पूरा पता और संपर्क के ब्यौरे, जो सूचना देने वाले पक्षकार (पक्षकारों) की ओर से संसूचना (संसूचनाएं) प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है (हैं) ।

भाग 4 : अवसीमाओं की पूर्ति

[अधिनियम की धारा 5 देखें]

4. नीचे दिए गए प्ररूप में संयोजन के पक्षकारों की आस्तियों और आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध कराएं :

पक्षकारों का नाम	(तारीख .... को) आस्तियां			(वित्तीय वर्ष ... के लिए) आवर्त☐		
	भारत में	विश्व भर में		भारत में	विश्व भर में	
	(करोड़ रुपए)	यूएस डालर (दस लाख)	भारतीय रुपए	(करोड़ रुपए)	यूएस डालर (दस लाख)	भारतीय रुपए

			(करोड़)			(करोड़)
पक्षकार 1						
पक्षकार 2						
संयुक्त रूप से						

भाग 5 : संयोजन का वर्णन

5. निम्नलिखित के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हुए संयोजन का वर्णन करें :

5.1 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसरण में अधिसूचित संयोजन का विस्तार क्षेत्र [करार (करारों) के अधीन सुसंगत खंड के प्रतिनिर्देश से, यथालागू] :

5.1.1. धारा 5 के सुसंगत खंड के प्रतिनिर्देश से, यथास्थिति, अर्जन या विलयन या आमेलन के ब्यौरे ;

5.1.2. इन विनियमों के विनियम 9 के उपविनियम (4) और/या उपविनियम (5) के निबंधनानुसार ऐसा (ऐसे) कोई अन्य संव्यवहार, जो परस्पर सहबद्ध है (हैं) ; और

5.1.3. ऊपर 5.1.1 और 5.1.2 में निर्दिष्ट संव्यवहार (संव्यवहारों) द्वारा अर्जित या उद्भूत होने वाले या उससे सहबद्ध अधिकार ।

5.2. संयोजन के प्रत्येक कदम के लिए समय-सीमा के साथ ऐसे कदम, जिन्हें संयोजन को प्रभावी करने के लिए उठाया जाएगा ।

5.3. संयोजन का आर्थिक और रणनीतिगत प्रयोजन (जिसके अंतर्गत संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के कारबार उद्देश्य और उनका औचित्य भी है और उनकी पूर्ति किस रीति में की जानी आशयित है) ।

5.4. प्रस्तावित संयोजन का मूल्य ।

5.5. संयोजन के परिणामस्वरूप विदेशी निवेश (एफडीआई, एफपीआई आदि, यदि कोई हो, भारतीय रुपए में) तथा उनके उदभव का देश (के देश) ।

5.6. भारत से भिन्न किन्हीं अन्य अधिकारिताओं में फाइल करने संबंधी अपेक्षाएं और उसकी प्रास्थिति ।

5.7. संयोजन से संबंधित कोई अन्य सुसंगत जानकारी ।

भाग 6 : संयोजन के पक्षकारों के क्रियाकलाप और क्षेत्र पर्यावलोकन

6. संयोजन के पक्षकारों में से प्रत्येक के ब्यौरे :

6.1. उस समूह का नाम, जिससे संयोजन के पक्षकार संबंध रखते हैं ।

6.2. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के लिए निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध कराएं :

6.2.1. भारत में अस्तित्व और भारत में उनकी उपस्थिति (उदाहरण के लिए, विक्रय कार्यालय, कारखाना, संपर्क कार्यालय, शाखा कार्यालय, फ्रैन्चाइज या भारत से बाहर किसी अस्तित्व के माध्यम से, आदि) ;

6.2.2. पिछले एक वर्ष के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी/निदेशकों/भागीदारों/न्यासियों/प्रभारी व्यक्ति/अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति ;

6.2.3. भारत में प्रयुक्त व्यापार का (के) नाम, कारबार का (के) नाम और ब्रांड का (के) नाम ; और

6.2.4. भारत में और विश्वव्यापी क्रियाकलापों का पर्यावलोकन, यथा लागू ।

6.3. संयोजन के पक्षकारों के उत्पादों (विनिर्मित, पूर्ति किए जाने वाले, वितरित और/या विक्रित) और/या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की सूची/ब्यौरे उपलब्ध कराएं ।

6.4. **समस्तरीय परस्पर-व्यापन** – कथन करें कि क्या संयोजन के पक्षकार और/या उनके संबंधित समूह अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान या एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों का उत्पादन करते हैं या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, सभी युक्तियुक्त विकल्पों को ध्यान में रखते हुए :

जी हां		जी नहीं	

यदि उत्तर हां है तो निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं (प्रत्येक युक्तियुक्त वैकल्पिक सुसंगत बाजार (बाजारों) के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी) :

6.4.1. सभी युक्तियुक्त विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, परस्पर व्यापन रखने वाले उत्पादों/सेवाओं और सुसंगत उत्पाद तथा सुसंगत भौगोलिक बाजार (बाजारों) के ब्यौरे और साथ ही सुसंगत उत्पाद तथा सुसंगत भौगोलिक बाजार (बाजारों) के प्रत्येक युक्तियुक्त विकल्प को स्वीकार करने और नामंजूर करने के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं ;

6.4.2. सुसंगत स्रोत को उपदर्शित करते हुए प्राक्कलन और प्राक्कलन का आधार तथा विक्रय (रुपए में) और परिमाण (यूनिट) के मूल्य के निबंधनानुसार पिछले पांच वर्षों के लिए बाजार का कुल आकार ;

6.4.3. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार (उनके सुसंगत समूह अस्तित्वों को सम्मिलित करते हुए) का पिछले पांच वर्षों के लिए, बाजार शेयर के प्राक्कलन सहित विक्रय का मूल्य (रुपए में) और परिमाण (यूनिट) ;

6.4.4. प्रत्येक पक्षकार के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों (पिछले पांच वर्ष के लिए उनके बाजार शेयर सहित), जिनके पास कम से कम पांच प्रतिशत बाजार शेयर है, ग्राहकों (पिछले पांच वर्षों के लिए पक्षकार द्वारा की गई आपूर्तियों में उनके व्यष्टिक शेयरों सहित) और पूर्तिकारों (पिछले पांच वर्षों के लिए पक्षकार द्वारा किए गए उपापन में उनके व्यष्टिक शेयरों सहित) के नाम और संपर्क ब्यौरे ;

6.4.5. बाजार और मांग की संरचना के ब्यौरे :

6.4.5.1. सुसंगत बाजार (बाजारों में) संयोजन से पूर्व और पश्च उद्यम सीआर4 अनुक्रमणिका और एचएचआई (हरफाइंडअहल – हिर्षमेन अनुक्रमणिका) के निबंधनानुसार सांद्रण का स्तर ;

6.4.5.2. सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और विस्तार, जो बाजार अध्ययनों, पूर्वानुमान, सर्वेक्षणों आदि (यदि कोई हों) से समर्थित हो ;

6.4.5.3. गुणों, गुणवता, कीमत, आशयित उपयोग, उपयोक्ता अनुभव आदि के निबंधनानुसार उत्पाद अंतरण का विस्तार और महत्व तथा वह डिग्री, जिस तक संयोजन के पक्षकारों के उत्पाद या सेवाएं निकट प्रतिस्थापन हैं ;

6.4.5.4. स्विच करने की सुगमता और एक पूर्तिकार से अन्य पूर्तिकार या एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद पर स्विच करने के लिए उसमें अंतर्वलित लागत (समय और व्यय के निबंधनानुसार) ;

6.4.5.5. बाजार में हाल ही में हुए विचलनों के ब्यौरे, चाहे वे प्रौद्योगिकी से संबंधित हों या किन्हीं

कारबार माडलों में परिवर्तन के कारण या किसी उत्पाद या प्रक्रिया नवीनीकरण के कारण हुए हों या किसी अन्य कारणवश हुए हों, जिन्होंने बाजारों को परिवर्तित किया है ; और

6.4.5.6. आयातों द्वारा अधिरोपित प्रतिस्पर्धा संबंधी बाधा की डिग्री ।

6.4.6. विधि और विनियामक ढांचे के ब्यौरे :

6.4.6.1. ऐसे विनियम/विधियां/नियम/प्रक्रियाएं/शासकीय प्रैस टिप्पण/निदेश/ अधिसूचनाएं/टैरिफ और गैर-टैरिफ विनियम आदि, जो संयोजन के पक्षकारों के समान या एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को निर्बंधित करते हैं ;

6.4.6.2. समान या एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के संबंध में सरकार/ विभागों/प्राधिकारियों द्वारा विहित स्थानीय विनिर्देश ;

6.4.6.3. समान या एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन/आपूर्ति के लिए स्थापित प्रसुविधाओं के लिए अनुज्ञापन/ रजिस्ट्रीकरण संबंधी अपेक्षाएं ; और

6.4.6.4. सरकार की ऐसी उपापन नीतियां, जो संयोजन के पक्षकारों या उनके प्रतिस्पर्धियों के लिए विशेष शासन व्यवस्था की प्रस्थापना करती हैं ।

6.4.7. अनुसंधान और विकास :

6.4.7.1. अनुसंधान और विकास क्षमताओं का महत्व और कब्जे में बौद्धिक संपदा अधिकार, जिससे कोई उद्यम सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रतिस्पर्धी बना रहने या उनमें टिके रहने में समर्थ होगा ;

6.4.7.2. पिछले पांच वर्षों के दौरान, संयोजन के पक्षकारों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों, यदि कोई हों, की प्रकृति और विस्तार तथा संयोजन के पक्षकारों के कब्जे में सारवान बौद्धिक संपदा अधिकार ;

6.4.7.3. संयोजन के पक्षकारों की, संयोजन के सहित और रहित सूचीबद्ध और/या आशयित अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप । संयोजन के पक्षकारों के अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के विस्तार, प्रकृति और/या आकार पर संयोजन का प्रभाव और इस प्रकार के परिवर्तन का सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रतिस्पर्धा पर संभावित प्रभाव ; और

6.4.7.4. सुसंगत प्रौद्योगिकियों, जिनमें आयात और ऑफ शेल्फ क्रय सम्मिलित हैं, के उपापन की सुगमता।

6.4.8. सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रवेश :

6.4.8.1. सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रवेश को प्रभावित करने वाले कारक ;

6.4.8.2. ऐसे उद्यम (उद्यमों) के ब्यौरे, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रवेश किया है या प्रवेश करने का प्रयास किया है ;

6.4.8.3. सारवान आकार के ऐसे उद्यम (उद्यमों) के ब्यौरे, जिनकी आगामी दो वर्षों में सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रवेश करने की संभावना है ;

6.4.8.4. पिछले पांच वर्षों के दौरान, संयोजन के किसी पक्षकार द्वारा किसी सुसंगत उत्पाद (उत्पादों)/सेवा के लिए भारत में किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करने या प्रवेश करने का प्रयास करने के ब्यौरे ; और

6.4.8.5. संयोजन के किसी पक्षकार द्वारा समान सुसंगत बाजार (बाजारों) में किए जाने वाले आगामी आशयित अर्जनों के ब्यौरे ।

6.4.9. सुसंगत बाजार (बाजारों) से बाहर निकलना :

6.4.9.1. ऐसे उद्यम (उद्यमों) के ब्यौरे, जो पिछले पांच वर्षों के दौरान सुसंगत बाजार (बाजारों) से बाहर निकले है या बाहर निकलने का प्रयास किया है ;

6.4.9.2. सारवान आकार के ऐसे उद्यम (उद्यमों) के ब्यौरे, जिनकी आगामी दो वर्षों में सुसंगत बाजार (बाजारों) से बाहर निकलने की संभावना है ;

6.4.9.3. संयोजन के संबंध में और उसे बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप संयोजन के पक्षकारों द्वारा प्रस्थापित समान, एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पाद (उत्पादों) और/या सेवा की प्रकृति/विस्तार/आपूर्ति की मात्रा के विस्तार क्षेत्र में संभावित कमी और/या परिवर्तन के ब्यौरे ;

6.4.9.4. समान सुसंगत बाजार (बाजारों) में संयोजन के पक्षकारों द्वारा भविष्य के लिए योजनाबद्ध उत्पादों या सेवा, योजनाबद्ध विस्तार (चाहे वह क्षमता या भौगोलिक क्षेत्र आदि के निबंधनानुसार हो) के ब्यौरे, संयोजन की अनुपस्थिति और ऐसे उत्पाद या सेवा या विस्तार पर संयोजन का संभावित प्रभाव ।

6.4.10. आयातों के ब्यौरे ;

6.4.11. निर्यातों के ब्यौरे ; और

6.4.12. अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन दिए गए कारकों के प्रतिनिर्देश से सूचना ।

6.5. **वर्टिकल और अनुपूरक क्रियाकलाप** : कथन करें कि क्या संयोजन का कोई पक्षकार और/या उसका संबंधित समूह अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे उत्पादों या सेवाओं के उपलब्ध कराए जाने, जो उत्पादन श्रृंखला के भिन्न-भिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिनमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार संलिप्त है, उत्पादन, पूर्ति, वितरण, भंडारण, विक्रय और सेवा से संबंधित किसी क्रियाकलाप में लगा हुआ है, सभी युक्तियुक्त विकल्पों और/या किन्हीं अनुपूरक क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए :

जी हां	☐	जी नहीं	☐

यदि उत्तर हां है तो निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं (प्रत्येक युक्तियुक्त वैकल्पिक सुसंगत बाजार के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी) :

6.5.1. सभी युक्तियुक्त विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्रियाकलापों या अनुपूरक क्रियाकलापों के ब्यौरे और सुसंगत उत्पाद तथा सुसंगत भौगोलिक बाजार के सभी युक्तियुक्त विकल्पों को विचार में लेते हुए तथा साथ ही सुसंगत उत्पाद तथा सुसंगत भौगोलिक बाजार के सभी युक्तियुक्त विकल्पों को स्वीकार करने और नामंजूर करने के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं ;

6.5.2. सुसंगत उत्पाद और/या सेवाओं के लिए पिछले पांच वर्ष के लिए बाजार का आकार ;

6.5.3. सुसंगत उत्पाद और/या सेवाओं के लिए पिछले पांच वर्ष के लिए संयोजन के प्रत्येक पक्षकार (उनके सुसंगत समूह अस्तित्वों को सम्मिलित करते हुए) का बाजार शेयर ;

6.5.4. सुसंगत उत्पाद और सेवा के लिए सबसे बड़े ऐसे प्रतिस्पर्धियों के नाम और संपर्क ब्यौरे, जिनके पास पांच प्रतिशत बाजार शेयर है (पिछले पांच वर्ष के दौरान उनके बाजार शेयर सहित) ;

6.5.5. प्रत्येक पक्षकार के पांच सबसे बड़े ग्राहकों के नाम और संपर्क ब्यौरे, जिन्होंने अपस्ट्रीम बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, पक्षकार (पक्षकारों) द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई आपूर्तियों में ऐसे ग्राहकों के व्यष्टिक शेयर सहित ;

6.5.6. प्रत्येक पक्षकार के पांच सबसे बड़े पूर्तिकारों के नाम और संपर्क ब्यौरे, जिन्होंने अपस्ट्रीम बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, पक्षकार (पक्षकारों) द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए उपापनों में की गई ऐसी आपूर्तियों में उनके व्यष्टिक शेयर सहित ;

6.5.7. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान संयोजन के पक्षकारों के बीच विद्यमान पूर्ति संबंधी ठहराव, संव्यवहारों के परिमाण और मूल्य सहित तथा प्रत्येक बाजार के कुल विक्रय/उपभोग के संबंध में संबंधित पक्षकारों का ऐसे विक्रय/उपभोग का प्रतिशत ;

6.5.8. बाजार और मांग की संरचना के ब्यौरे :

6.5.8.1. सुसंगत बाजार (बाजारों में) संयोजन से पूर्व और पश्च उद्यम सीआर4 अनुक्रमणिका और एचएचआई (हरफाइंडअहल – हिर्षमेन अनुक्रमणिका) के निबंधनानुसार सांद्रण का स्तर ;

6.5.8.2. सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और विस्तार, जो बाजार अध्ययनों, पूर्वानुमान, सर्वेक्षणों आदि (यदि कोई हों) से समर्थित हो ;

6.5.8.3. स्विच करने की सुगमता और एक पूर्तिकार से अन्य पूर्तिकार या एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद पर स्विच करने के लिए उसमें अंतर्वलित लागत (समय और व्यय के निबंधनानुसार) ;

6.5.8.4. बाजार में हाल ही में हुए विचलनों के ब्यौरे, चाहे वे प्रौद्योगिकी से संबंधित हों या किन्हीं कारबार माडलों में परिवर्तन के कारण या किसी उत्पाद या प्रक्रिया नवीनीकरण के कारण हुए हों या किसी अन्य कारणवश हुए हों, जिन्होंने बाजारों को परिवर्तित किया है ; और

6.5.8.5. आयातों द्वारा अधिरोपित प्रतिस्पर्धा संबंधी बाधा की डिग्री ।

6.5.9. विधिक और विनियामक ढांचा :

6.5.9.1. ऐसे विनियम/विधियां/नियम/प्रक्रियाएं/शासकीय प्रैस टिप्पण/निदेश/ अधिसूचनाएं/टैरिफ और गैर-टैरिफ विनियम आदि, जो संयोजन के पक्षकारों के समान या एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को निर्बंधित करते हैं ;

6.5.9.2. समान या एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के संबंध में सरकार/विभागों/ प्राधिकारियों द्वारा विहित स्थानीय विनिर्देश ;

6.5.9.3. समान या एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन/आपूर्ति के लिए स्थापित प्रसुविधाओं के लिए अनुज्ञापन/ रजिस्ट्रीकरण संबंधी अपेक्षाएं ; और

6.5.9.4. सरकार की ऐसी उपापन नीतियां, जो संयोजन के पक्षकारों या उनके प्रतिस्पर्धियों के लिए विशेष शासन व्यवस्था की प्रस्थापना करती हैं ।

6.5.10 अनुसंधान और विकास :

6.5.10.1. अनुसंधान और विकास क्षमताओं का महत्व और कब्जे में बौद्धिक संपदा अधिकार, जिससे कोई उद्यम सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रतिस्पर्धी बना रहने या उनमें टिके रहने में समर्थ होगा ;

6.5.10.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान, संयोजन के पक्षकारों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों, यदि कोई हों, की प्रकृति और विस्तार तथा संयोजन के पक्षकारों के कब्जे में सारवान बौद्धिक संपदा अधिकार ; और

6.5.10.3 सुसंगत प्रौद्योगिकियों, जिनमें आयात और ऑफ शेल्फ क्रय सम्मिलित हैं, के उपापन की सुगमता ।

6.5.11. सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रवेश :

6.5.11.1. सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रवेश को प्रभावित करने वाले कारक ;

6.5.11.2. ऐसे उद्यम (उद्यमों) के ब्यौरे, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रवेश किया है या प्रवेश करने का प्रयास किया है ;

6.5.11.3. सारवान आकार के ऐसे उद्यम (उद्यमों) के ब्यौरे, जिनकी आगामी दो वर्षों में सुसंगत बाजार (बाजारों) में प्रवेश करने की संभावना है ;

6.5.11.4. पिछले पांच वर्षों के दौरान, संयोजन के किसी पक्षकार द्वारा किसी सुसंगत अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम बाजारों में प्रवेश करने या प्रवेश करने का प्रयास करने के ब्यौरे ;

6.5.11.5. भारत में किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करने या विस्तार करने की योजना के ब्यौरे, चाहे वे सुसंगत अपस्ट्रीम उत्पाद/सेवा या डाउनस्ट्रीम उत्पाद/सेवा में क्षमता या भौगोलिक क्षेत्र आदि के निबंधनानुसार हों ; और

6.5.11.6. संयोजन के किसी पक्षकार द्वारा समान सुसंगत अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम बाजार (बाजारों) में किए जाने वाले आगामी आशयित अर्जनों के ब्यौरे ।

6.5.12. सुसंगत बाजार (बाजारों) से बाहर निकलना :

6.5.12.1. ऐसे उद्यम (उद्यमों) के ब्यौरे, जो पिछले पांच वर्षों के दौरान सुसंगत बाजार (बाजारों) से बाहर निकले है या बाहर निकलने का प्रयास किया है ; और

6.5.12.2. सारवान आकार के ऐसे उद्यम (उद्यमों) के ब्यौरे, जिनकी आगामी दो वर्षों में सुसंगत बाजार (बाजारों) से बाहर निकलने की संभावना है ।

6.5.13. आयातों के ब्यौरे ;

6.5.14 निर्यातों के ब्यौरे ; और

6.5.15. अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन दिए गए कारकों के प्रतिनिर्देश से सूचना ।

6.6. क्या संयोजन के किसी पक्षकार या उनके किसी समूह अस्तित्व के पास किसी ऐसे अन्य उद्यम (उद्यमों) की, जो : (क) समान/एकसमान/प्रतिस्थापनीय उत्पादों के उत्पादन, वितरण या व्यापार में या समान/एकसमान/प्रतिस्थापनीय सेवाओं की आपूर्ति में लगा है ; और/या (ख) ऐसे उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार या सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित किसी क्रियाकलाप में लगा है, जो ऐसी उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिसमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार भी संलिप्त है ; और/या (ग) अनुपूरक क्रियाकलापों में लगा है । यदि हां, तो ऊपर मद 6.1 से मद 6.5 के अनुसार ब्यौरे और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं और साथ ही सारणीबद्ध दृष्टांत भी उपलब्ध कराएं, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयर धृति, अधिकार का प्रयोग करने का सामर्थ्य (जिसके अंतर्गत किसी पक्षकार या उसके किसी सहबद्ध के साथ वाणिज्यिक प्रकृति का कोई फायदा भी सम्मिलित है) को वर्णित किया गया हो, जो किसी सामान्य शेयर धारक को उपलब्ध नहीं है और साथ ही किसी अन्य उद्यम (उद्यमों) में किसी निदेशक या संपरीक्षक को नामनिर्दिष्ट करने के

अधिकार या सामर्थ्य का भी उल्लेख करें।

6.7. ऐसे क्षेत्र (क्षेत्रों) का संक्षिप्त पर्यावलोकन उपलब्ध कराएं, जिनमें संयोजन के पक्षकार प्रचालन करते हैं।

6.8. संयोजन का अर्थव्यवस्था, बाजार (बाजारों) और उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव ; और

6.9. यदि संयोजन का कोई पक्षकार पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन या उसके अनुसरण में आयोग या किसी अन्य प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी (प्राधिकारियों) के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों का पक्षकार रहा है तो उक्त कार्यवाही (कार्यवाहियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

भाग 7 : अनुलग्नक

7. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :

7.1. सूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार (ऊपर मद 1.6 देखें)।

7.2. आयोग को फीस के संदाय के लिए पावती (ऊपर मद 2 देखें)।

7.3. संसूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकार (ऊपर मद 3 देखें)।

7.4. संयोजन के पक्षकारों की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट।

7.5. इन विनियमों के विनियम 13 के उपविनियम (1क) के निबंधनानुसार संयोजन का संक्षिप्त विवरण।

7.6. (क) संयोजन के पक्षकारों ; (ख) संयोजन की प्रकृति ; (ग) संयोजन के पक्षकारों के क्रियाकलापों का क्षेत्र ; (घ) वह बाजार (वे बाजार) (जिसके अंतर्गत उसकी संरचना और प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी है), जिनमें संयोजन का प्रभाव होगा या प्रभाव होने की संभावना है ; (ङ) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 20 की उपधारा (4) के प्रतिनिर्देश से सूचना ; (च) संयोजन के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए संभावित समय ; को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावित संयोजन का कार्यपालक संक्षिप्त विवरण।

7.7.(क) संयोजन के पक्षकारों के अंततोगत्वा मूल अस्तित्व और नियंत्रक शेयरधारक (शेयरधारकों) से आरंभ करते हुए ; और (ख) ऐसे उद्यमों, जिनकी संरचना, स्वामित्व और नियंत्रण पर संयोजन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा, की संयोजन से पूर्व और उसके पश्चात् शेयर धृति/स्वामित्व के विस्तार और मतदान अधिकार (यदि वे स्वामित्व की रूपरेखा से भिन्न है), नियंत्रण के ब्यौरों सहित, को उपदर्शित करने वाला चार्ट।

7.8. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार का हाल ही का संगठनात्मक चार्ट।

7.9. इन विनियमों के विनियम 5 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट अनुमोदन या करार/दस्तावेजों की प्रति।

7.10. संयोजन के पक्षकारों, जिसके अंतर्गत उनके सुसंगत समूह अस्तित्व और/या उनके निदेशक बोर्ड और/या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति भी हैं, को प्रस्तावित संयोजन के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले और/या उनके द्वारा विचारार्थ दस्तावेज, सामग्री (जिनके अंतर्गत रिपोर्ट, अध्ययन, योजना, अन्य दस्तावेजों का नवीनतम पाठ भी हैं) आदि।

घोषणा

अधिसूचना जारी करने वाला पक्षकार यह पुष्टि करता है कि उसने प्ररूप 2 में, उसके टिप्पणों, यदि कोई हों, के साथ पठित रूप में यथा अपेक्षित सभी जानकारी और दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया है।

अधिसूचना जारी करने वाला पक्षकार यह घोषणा करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि इस प्ररूप में दी गई सभी जानकारी और इससे संलग्न सभी पृष्ठ उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और यह कि सभी प्राक्कलनों की उसी प्रकार पहचान की गई है, जैसे कि वे हैं और उसके सर्वोत्तम प्राक्कलन अंतर्निहित तथ्यों पर आधारित हैं ।

अधिसूचना जारी करने वाले पक्षकार द्वारा

या उसकी ओर से हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

पदनाम : ....

तारीख : ....।";

(2) प्ररूप 4 में,--

(क) पैरा (2) में, "स्तंभ 1" शब्द और अंक के स्थान पर, "क्रम सं. 7.6" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा (3) में, "द हिन्दूस्तान टाइम्स हाउस, 7वां तल, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "9वां तल, आफिस ब्लॉक-1, किदवई नगर (ईस्ट), नई दिल्ली-110023, भारत" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

ज्योति जिंदगर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./730/2021-22]

टिप्पण - मूल विनियमों को अधिसूचना सं.फा.सं.1-1/संयोजन विनियम/2011-12/सीडी/ सीसीआई द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 11 मई, 2011 में प्रकाशित किया गया था और उनमें निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे :--

(क) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2012 फा.सं. 3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई. द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 23 फरवरी, 2012 में प्रकाशित किया गया था ।

(ख) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2013 फा.सं. 3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई. द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित किया गया था ।

(ग) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 28 मार्च, 2014 में प्रकाशित किया गया था ।

(घ) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 01 जुलाई, 2015 में प्रकाशित किया गया था ।

(ङ) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन

विनियम, 2016 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 07 जनवरी, 2016 में प्रकाशित किया गया था।

(च) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2018 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 09 अक्तूबर, 2018 में प्रकाशित किया गया था।

(छ) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2019 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 13 अगस्त, 2019 में प्रकाशित किया गया था।

(ज) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2019 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 30 अक्तूबर, 2019 में प्रकाशित किया गया था।

(झ) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2020 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 26 नवंबर, 2020 में प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2022

F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2022.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, namely,--

1. Short title and commencement.-

(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the 1st May, 2022.

2. In the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, in Schedule II,-

(1) for FORM II, the following FORM shall be substituted, namely,-

"FORM II

[See regulation 5(3)]

Registration No: (to be assigned by the Competition Commission of India)

Information required to be filled in by the notifying party(ies)

Part I: Basic information

1.Information about each of the party to the combination:

1.1. Legal names of parties to the combination and their role:

1.2. Legal status of the parties to the combination (Company/Firm/LLP/Trust etc.):

1.3. Jurisdiction of incorporation/formation:

1.4. Registration number (if applicable):

1.5. Complete registered address / principal business address:

1.6. Name of the person signing on behalf of the parties to the combination and his contact details (email address, telephone number, mobile number, including country/city/area code):

1.7. Complete address and contact details in India:

1.8. Website address:

1.9. Relevant 4-digit National Industrial Classification of the activities of the parties to the combination:

1.10. Date of pre-filing consultation, if any:

Part II: Payment of fee

[**See clause (b) of regulation 11**]

2.Particulars of fee deposited.

Part III: Authorisation regarding communication

3. Name, complete address and contact details of Individual(s) in India who is authorised to receive communication(s) on behalf of the notifying party(ies).

Part IV: Meeting the thresholds

[See section 5 of the Act]

4.Details of assets and turnover of the parties to the combination in the format given below:

Name of the Parties	**Assets (as on ____)**			**Turnover (for FY______)**		
	In India (INR crore)	**Worldwide**		**In India (INR crore)**	**Worldwide**	
		USD (million)	**INR (crore)**		**USD (million)**	**INR (crore)**
Party 1						
Party 2						
Combined						

Part V: Description of the combination

5. Describe the combination by providing information regarding the following:

5.1. Scope of the combination notified pursuant to sub-section (2) of section 6 of the Act (with reference to relevant clause under the agreement(s), as applicable):

5.1.1. Details of acquisition or merger or amalgamation, as the case may be, with reference to relevant clause of section 5;

5.1.2. Any other transaction(s) that is/are inter-connected, in terms of sub-regulation (4) and / or (5) of regulation 9 of these regulations; and

5.1.3. Right(s) acquired or arising out of or in connection with the transaction(s) referred to at 5.1.1 and 5.1.2 above.

5.2. Step(s) to give effect to the combination, along with timelines for each step(s) of the combination.

5.3. Economic and strategic purpose (including business objective and rationale for each of the parties to the combination and the manner in which they are intended to be achieved) of the combination.

5.4. Value of the proposed combination.

5.5. Foreign investment as a result of the combination (FDI, FPI, *etc.*, if any, in INR) and country(ies) of origin.

5.6. Filing requirements and its status in jurisdictions other than India.

5.7. Any other relevant information related to the combination.

Part VI: Activities of parties to the combination and sector overview

6. Details about each of the parties to the combination:

6.1. Name of the group to which the parties to the combination belong.

6.2. For each of the parties to the combination, details regarding the following:

6.2.1. Entities in India and the presence in India (for example, sales office, factory, liaison office, branch office, franchise or through any entity from outside India, etc.);

6.2.2. CEO / CFO /directors /partners /trustees / person in charge / other key managerial person(s) during the last one year;

6.2.3. Trade name(s), business name(s) and the brand name(s) used in India; and

6.2.4. Overview of activities worldwide and in India, as applicable.

6.3. List/details of the products (manufactured, supplied, distributed, and/or sold) and/or services provided by the parties to the combination.

6.4. **Horizontal Overlaps** – State as to whether the parties to the combination and/or their respective group entities, directly or indirectly, produce/provide similar or identical or substitutable products or services, considering all plausible alternative(s):

Yes ☐ No ☐

If the answer is yes, furnish the following information [information shall be furnished for each of the plausible alternative relevant market(s)]:

6.4.1. Details of the overlapping products/ services and the relevant product(s) and relevant geographic market(s), considering all plausible alternative(s), alongwith explanation for accepting and rejecting each of the plausible alternative of relevant product and relevant geographic market(s);

6.4.2. Estimate, indicating the relevant source and the basis of estimate, the total size of the market for last five years, in terms of value of sales (in rupees) and volume (units);

6.4.3. Sales in value (in rupees) and volume (units) along with an estimate of the market share(s) of each of the parties to the combination (including their relevant group entities), for the last five years;

6.4.4. Name and contact details of the largest competitors having market share of at least five percent (along with their market shares for last five years), customers (along with their individual shares in supplies made by the party for last five years) and suppliers (along with their individual shares in procurement made by the party for last five years) of each the party;

6.4.5. Details of structure of market and demand:

6.4.5.1. Level of concentration, in terms of number of enterprise CR4 Index, and HHI (Herfindahl - Hirschman Index), in the relevant market(s), pre and post the combination;

6.4.5.2. Nature and extent of competition in the relevant market(s), supported by market studies, forecast, surveys *etc*, (if any);

6.4.5.3. Extent and importance of product differentiation in terms of attributes, quality, price, intended use, user experience *etc.* and the degree to which the products or services of the parties to the combination are close substitutes;

6.4.5.4. Ease of switching and cost involved therein (in terms of time and expense) for switching from one supplier to another or one product to another;

6.4.5.5. Details of recent disruptions in the market, be it technological or any change in business models or any product or process innovation(s) or by any other means that have altered markets; and

6.4.5.6. Degree of competition constraint exerted by imports.

6.4.6. Details of legal and regulatory framework:

6.4.6.1. Regulations / laws / rules / procedures / official press notes / directions / notifications / tariff and non-tariff regulation, *etc.*, which restrict production, supply, distribution of the similar or identical or substitutable products or services of the parties to the combination;

6.4.6.2. Local specifications prescribed by government / departments / authorities regarding similar or identical or substitutable products or services;

6.4.6.3. Licensing / registration requirements to set up facilities for production / supply of the similar or identical or substitutable products or services; and

6.4.6.4. Government procurement policies which offer special dispensation to the parties to combination or their competitors.

6.4.7. Research and Development (R&D):

6.4.7.1. Importance of R&D capabilities and possession of intellectual property rights to enable an enterprise to remain competitive or to survive in the relevant market(s);

6.4.7.2. Nature and extent of the R&D activities, if any, carried out by the parties to the combination over last past five years and material intellectual property rights possessed by the parties to the combination;

6.4.7.3. Scheduled and / or intended R&D activities of parties of the combination, with and without the combination. Effect of the combination on extent, nature and/or size of R&D activities of the parties to the combination, and likely impact of such change on competition in the relevant market(s); and

6.4.7.4. Ease of procurement of relevant technologies including imports and off shelf purchases.

6.4.8. Entry into the relevant market(s):

6.4.8.1. Factors influencing entry into the relevant market(s);

6.4.8.2. Details of enterprise(s) that have entered or attempted to enter the relevant market(s) in the last five years;

6.4.8.3. Details of likelihood of entry of enterprise(s) of significant size in the relevant market(s) within next two years;

6.4.8.4. Details of entry or attempt to entry by any party to the combination in any geographic area in India for the relevant product(s)/service(s) during the last five years; and

6.4.8.5. Details of pipeline acquisitions in same relevant market(s) by the parties to the combination.

6.4.9. Exit from the relevant market(s):

6.4.9.1. Details of enterprise(s) that have exited or attempted to exit from the relevant market(s) in the last five years;

6.4.9.2. Details of likelihood of exit of enterprise(s) of significant size in the relevant market(s) within next two years;

6.4.9.3. Details of likely reduction in scope and/or change in nature/ extent/volume of supply of identical, similar or substitutable product(s) and/or service(s) offered by the parties to the combination as a result of, in connection with or in furtherance of the combination;

6.4.9.4. Details of pipeline products or services, planned expansion (whether in terms of capacity or geographic area *etc*.) in same relevant market(s) by the parties to the combination, absent the combination, and likely impact of the combination on such product or services or expansion.

6.4.10. Details of imports;

6.4.11. Details of exports; and

6.4.12. Information with reference to factors given under sub-section (4) of section 20 of the Act.

6.5. **Vertical and Complementary Activities :** State as to whether any of the parties to the combination and/or their respective group entities, directly or indirectly, are engaged in any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the combination is involved, considering all plausible alternative(s); and/or any complementary activities:

Yes ☐ No ☐

If the answer is yes, furnish the following information [information shall be furnished for each the plausible alternative relevant market(s)]:

6.5.1. Details of the upstream and downstream activities or the complementary activities as the case may be, and the relevant product and relevant geographic market(s), considering all plausible alternative(s), alongwith explanation for accepting and rejecting each of the plausible alternative of relevant product and relevant geographic market(s);

6.5.2. Market size for the last five years for relevant product and/or services;

6.5.3. Market share of each of the parties to the combination (including their relevant group entities) for relevant product and/or services for the last five years;

6.5.4. Name and contact details of the largest competitors having market share of at least five percent (along with their market shares for the last five years) for relevant product and services;

6.5.5. Name and contact details of five largest customers of each of the parties having presence in upstream market along with individual share of such customers in supplies made by the party(ies) for last five years;

6.5.6. Name and contact details of five largest suppliers of each of the parties having presence in downstream market along with individual share of such suppliers in procurement made by the party(ies) for last five years;

6.5.7. Existing supply arrangements between the parties to the combination along with volume and value of transactions, during the previous financial year and percentage of such sales/consumption of the respective parties in relation to the total sales/consumption in each of the market(s);

6.5.8. Details of structure of market and demand:

6.5.8.1. Level of concentration, in terms of number of enterprise CR4 Index, and HHI (Herfindahl - Hirschman Index), in the relevant market(s), pre and post the combination;

6.5.8.2. Nature and extent of competition in the relevant market(s), supported by market studies, forecast, surveys *etc*, (if any);

6.5.8.3. Ease of switching and cost involved therein (in terms of time and expense) for customers for switching from one supplier to another or one product to another.

6.5.8.4. Details of recent disruptions in the market, be it technological or any change in business models or any product or process innovation (s) or by any other means that have altered markets; and

6.5.8.5. Degree of competition constraint exerted by imports;

6.5.9. Details of legal and regulatory framework:

6.5.9.1. Regulations / laws / rules / procedures / official press notes / directions / notifications, tariff and non-tariff regulations, *etc.*, which restrict production, supply, distribution of the relevant products or services of the parties to the combination;

6.5.9.2. Local specifications prescribed by government / departments / authorities regarding relevant products or services;

6.5.9.3. Licensing / registration requirements to set up facilities for production / supply of the relevant products or services; and

6.5.9.4. Government procurement policies which offer special dispensation to the parties to combination or their competitors.

6.5.10. Research and Development (R&D):

6.5.10.1. Importance of R&D capabilities and possession of intellectual property rights to enable an enterprise to remain competitive or to survive in the relevant market(s); and

6.5.10.2. Nature and extent of the R&D activities, if any, carried out by the parties to the combination over last past five years and material intellectual property rights possessed by the parties to the combination; and

6.5.10.3. Ease of procurement of relevant technologies including imports and off shelf purchases.

6.5.11. Entry into the relevant market(s):

6.5.11.1. Factors influencing entry into the relevant market(s);

6.5.11.2. Details of enterprise(s) that have entered or attempted to enter the relevant market(s) in the last five years;

6.5.11.3. Details of likelihood of entry of enterprise(s) of significant size in the relevant market(s) in the next two years;

6.5.11.4. Details of entry or attempt to entry by any party to the combination in relevant upstream or downstream markets during last five years;

6.5.11.5. Details of planned entry in any geographic area in India or expansion, whether in terms of capacity or geographic area *etc*., in relevant upstream product / service or downstream product / service; and

6.5.11.6. Details of pipeline acquisitions in same relevant upstream or downstream market by the parties to the combination.

6.5.12. Exit from the relevant market(s):

6.5.12.1. Details of enterprise(s) that have exited or attempted to exit from the relevant market(s) in the last five years; and

6.5.12.2. Details of likelihood of exit of enterprise(s) of significant size in the relevant market(s) within next two years.

6.5.13. Details of imports;

6.5.14. Details of exports; and

6.5.15. Information with reference to other factors given under sub-section (4) of section 20 of the Act.

6.6. Whether any of the parties to the combination or any of their group entities has direct or indirect shareholding and/or control over another enterprise(s) engaged in: (a) production, distribution or trading of similar/ identical/ substitutable products or provision of similar/ identical/ substitutable services; and/or (b) any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the combination is involved; and/or (c) complementary activities. If yes, provide details and necessary information as per item 6.1 to 6.5 above along with a tabular presentation illustrating direct or indirect shareholding, right or ability to exercise any right (including any advantage of commercial nature with any of the party or its affiliates) that is not available to an ordinary shareholder and right or ability to nominate a director or observer in another enterprise (s);

6.7. Brief overview of the sector(s) in which the parties to the combination operate;

6.8. Likely impact of the Combination on the economy, market(s) and consumers; and

6.9. If any of the parties to the combination was a party to any proceeding before the Commission under or pursuance to any provision of the Act or before other competition authority(ies), during the last five years, provide details of said proceeding(s).

Part VII : Attachments

7.Attach the following documents:

7.1. Authorisation for signing the notice (refer item 1.6 above).

7.2. Acknowledgement for payment of fees to the Commission (refer paragraph 2 above).

7.3. Authorisation for receiving communication (refer paragraph 3 above).

7.4. Annual report of the parties to the combination, for the preceding financial year.

7.5. Summary of the combination in terms of sub-regulation (1A) of regulation 13 of these regulations.

7.6. Executive summary of the proposed combination specifying: (a) the parties to the combination; (b) the nature of the combination; (c) the areas of activities of the parties to the combination; (d) the market(s) (including its structure and state of competition) in which the combination will have or is likely to have an impact; (e) information with reference to sub-section (4) of section 20 of the Act; and (f) expected timeframe for completion of various stages of the Combination.

7.7. Chart depicting shareholding/extent of ownership and voting right (if different from ownership pattern) along with details of control, prior to and after the combination, of: (a) the parties to the combination starting from their ultimate parent entity and controlling shareholder(s); and (b) for the enterprises, whose structure, ownership and control will be directly or indirectly affected by the combination.

7.8. Recent organisational chart of each of the parties to the combination.

7.9. Copy of approval or agreement/documents as referred to in sub-section (2) of section 6 of the Act read with regulation 5 of these regulations.

7.10. Documents, material (including reports, studies, plan, latest version of other documents), *etc*. considered by and/or presented to parties to the combination including their relevant group entities and/or their board of directors and/or key managerial person, in relation to the proposed combination.

DECLARATION

The notifying party confirms that it has furnished all the information and documents as required in Form II, read with notes thereto, if any.

The notifying party declares and confirms that all information given in this Form and all pages annexed hereto are true, correct and complete to the best of its knowledge and belief, and that all estimates are identified as such and are its best estimates based on the underlying facts.

Signed by or on behalf of the notifying party

Signature(s)

Name (in block letters):

Designation:

Date: ________________ .”;

(2) in FORM IV,-

(a) in paragraph (2), for the word and figure "column 1", the word and figure "serial number 7.6" shall be substituted;

(b) in paragraph (3), for the words and figures "the Hindustan Times House, 7th Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001", the words, figures and brackets "9th Floor, Office Block-1, Kidwai Nagar (East), New Delhi-110023, India" shall be substituted.

JYOTI JINDGAR, Secy. [I/c]

[ADVT.-III/4/Exty./730/2021-22]

Note: Principal Regulations were published vide Notification No. F. No. 1-1/ Combination Regulations/2011-12/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11 h May, 2011 and were subsequently amended by,-

(a) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2012 published vide F. No. 31/Amend/ Comb.Regl./2012/ CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd February, 2012;

(b) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2013 published vide F. No. 31/Amend/Comb. Regl./2012/ CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 4th April, 2013;

(c) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 28th March, 2014;

(d) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2015 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st July, 2015; and

(e) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2016 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 7th January, 2016.

(f) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2018 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 9th October, 2018.

(g) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2019 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 13h August, 2019.

(h) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Second Amendment Regulations, 2019 published vide F. No. CCI/CD/ Amend/ Comb.Regl./2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 30th October, 2019.

(i) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2020 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 26th November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.04.01 20:01:05 +05'30'